मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, २०१७

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १ का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ४ का संशोधन.
५. धारा ६ का संशोधन.
६. धारा ९ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

धारा १ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ (क्रमांक १२ सन् १९९९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.'';

(दो) उप धारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उप धारा अंत: स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(४) इस अधिनियम के उपबंध मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, २००१ (क्रमांक १० सन् २००१) के उपबंधों के अधीन लगाए गए वृक्षों को लागू नहीं होंगे.''.

धारा २ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(ग क) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है, संबंधित राजस्व संभाग का आयुक्त;''.

धारा ४ का संशोधन

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उप धारा (२) तथा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''(२) कलक्टर, ऐसे नियमों के अनुसार जो कि विहित किए जाएं, आवेदन की जांच करवाएगा तथा नब्बे दिन की कालावधि के भीतर आवेदन को मंजूर या नामंजूर करेगा :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा उस दशा में, उत्तराधिकार के सिवाय, मंजूर नहीं की जाएगी जहां किसी भी रीति में, भूमि में हक के अर्जन की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत न हो गई हो.

स्पष्टीकरण—हक के अर्जन की तारीख वह तारीख होगी जिसको कि हक का अंतरण लिखत द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है.

(३) किसी एक वर्ष में वृक्ष काटने की अनुज्ञा विनिर्दिष्ट वृक्षों की उतनी संख्या तक ही सीमित होगी जिससे भूमि स्वामी धन के रूप में किसी एक वर्ष में दस लाख रुपये से अनधिक उतनी रकम प्राप्त कर सके जो कि कलक्टर द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझी जाए :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में कलक्टर, आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, किसी एक वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के लिए अनुज्ञा दे सकेगा.''.

धारा ६ का संशोधन

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उप धारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) भूमि स्वामी को देय प्रतिफल की रकम, भूमिस्वामी के खाते में, किसी अनुसूचित बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की किसी भी शाखा में, निक्षिप्त की जाएगी.".

धारा ९ का संशोधन

६. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उप धारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) उपधारा (१) के अधीन कार्रवाई करने का आधार गठित करने वाले किन्हीं विनिर्दिष्ट वृक्षों की लकड़ी का अभिग्रहण कर लिया जाएगा और वह राज्य सरकार को राजसात हो जाएगी :

परन्तु यदि भूमि स्वामी के प्रति कोई षड़यंत्र, कपट या छल किया जाता है तो इस प्रकार राजसात लकड़ी के विक्रय आगम, उस आपराधिक मामले के निपटारे के पश्चात्, कलक्टर के आदेश के अधीन भूमिस्वामी को दिए जाएंगे.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ (क्रमांक १२ सन् १९९९) की धारा ४ में यह उपबंध है कि किसी आदिम जनजाति से संबंध रखने वाला कोई भूमिस्वामी, किसी एक वर्ष में, कलक्टर की अनुज्ञा से उसकी भूमि पर खड़े पचास हजार रुपये तक की लागत के वृक्षों को काट सकता है, जो कि विशेष परिस्थितियों में दो लाख रुपये की सीमा तक बढ़ाई जा सकती है. परन्तु वर्ष १९९९ से अभी तक इमारती लकड़ी की कीमत में कई गुना वृद्धि हुई है और आदिम जनजाति से संबंध रखने वाले भूमिस्वामी की मूलभूत आवश्यकताएं भी सारवान रूप में परिवर्तित हुई हैं. अतएव, इस परिवर्तित परिस्थिति के अधीन वृक्षों को काटने के लिए धन संबंधी सीमा को पुनरीक्षित किया जाना अत्यावश्यक है. आदिम जनजाति से संबंध रखने वाले भूमिस्वामियों द्वारा अनुभव की जा रही कुछ कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से अधिनियम के कतिपय अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना भी प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २२ मार्च, २०१७

लाल सिंह आर्य
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-४ द्वारा भू-स्वामी को पेड़ काटने की अनुज्ञा प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन को निर्धारित अवधि में मंजूर या नामंजूर किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ (क्रमांक १२ सन् १९९९) से उद्धरण.

* * * *

धारा ४ (२) कलक्टर, ऐसे नियमों के अनुसार जो कि विहित किए जाएं, आवेदन की जांच करवाएगा तथा क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) तथा प्रभागीय वन अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार किए बिना आवेदन को मंजूर या नामंजूर नहीं करेगा :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा, उस दशा में, उत्तराधिकार के सिवाय, मंजूर नहीं की जाएगी जहाँ किसी भी रीति में, भूमि में हक के अर्जन की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो गई है.

स्पष्टीकरण.—संहिता के अधीन हक के अर्जन की तारीख नामांतरण के प्रमाणीकरण की तारीख होगी.

(३) किसी एक वर्ष में वृक्ष काटने की अनुज्ञा विनिर्दिष्ट वृक्षों, की उतनी संख्या तक की सीमित होगी जिससे भूमि स्वामी धन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त कर सके जो किसी एक वर्ष में पचास हजार रुपए से अधिक न हो जैसा कि कलेक्टर द्वारा ओवदन में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन को पूरा करने के लि पर्याप्त समझा जाए_ :

परन्तु विशेष परिस्थितियों के अधीन कलक्टर, सम्यक विचार करने के पश्चात् किसी एक वर्ष में एक लाख रुपए से अनाधिक मूल्य या एक वृक्ष के मूल्य के लिए इनमें से जो भी उच्चतर हो अनुज्ञा दे सकेगा.

* * * *

धारा ६ (१) भूमिस्वामी को देय प्रतिफल की रकम राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा से या जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक में कलक्टर तथा भूमिस्वामी के संयुक्त खाते में निक्षिप्त की जाएगी, जिसका परिचालन उनके दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा.

धारा ९ (२) उपधारा (१) के अधीन कार्यवाही करने का आधार गठित करने वाले किन्हीं विनिर्दिष्ट वृक्षों की लकड़ी का अभिग्रहण कर लिया जाएगा और वह राज्य सरकार को राजसात हो जाएगी परन्तु यदि भूमिस्वामी के प्रति कोई षणयंत्र, कपट और छल किया जाता है तो इस प्रकार राजसात लकड़ी के विक्रय आगम, उस आपराधिक मामले के निपटारे के पश्चात्, कलेक्टर के आदेश के अधीन पचास हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए पचास प्रतिशत तक की सीमा तक भूमिस्वामी को दिए जाएंगे.

* * * *

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.